फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गेंदालाल बनाम भगवान वगै0

र्थना पत्र संख्या : 54 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 07.11.2024 को पेश हों।	
07.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षो की बहस रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11.11.24 को पेश हों।	
11.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षो की मजित बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी / अप्रार्थी सं0 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमे पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2023 को उक्त खसरा नम्बर 137 जो वादी द्वारा रास्ता चाहा खसरा नम्बर 242, 241, 239 मे से तहसीलदार आंधी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी / अप्रार्थी स0 1 द्वारा उक्त रिपोर्ट के विरूद्व दिनाक 10.04.2023 को मौका रिपोर्ट व आपत्ति पेश की गई। खसरा नम्बर 137 मे अप्रार्थी स0 3 ता 11 व 14, 15 द्वारा दिनांक 10.04.2023 को सहमति दी गई थी। उक्त खसरा नम्बर से लगवा स्थित खसरा नम्बर 143, 137 जो वादी व प्रतिवादी सं0 3 ता 11 व 14, 15 की है जो लगवा स्थित है। उक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के विरूद्व प्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की गई जिस पर श्रीमान न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही अवलोकन किया जाकर अपना अन्तिम निर्णय पारित किया। माननीय न्यायालय ने तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है जो रिपोर्ट मौके के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। इस संबध में प्रार्थी द्वारा परस्तुत की गई आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2023 को भी निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा नही किया गया है। इसलिए उक्त निर्णय दिनांक 15.04.2024 पुर्नविलोकन किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 15.04.2024 को पुर्नविलोकित किये जाने की कृपा फरमायी जावे। यदि माननीय न्यायालय स्वय मौका देखना उचित समझती है तो उक्त प्रकरण का पुर्नविलोकन निस्तारण करने से पूर्व पुनः मौका देखा जाकर पुर्नविलोकन को निस्तारित फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण विधिक सिद्वान्तो के विपरित पेश किया गया	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 54 / 2024

गेंदालाल बनाम भगवान वगै0

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		है। क्योकि किसी भी प्रार्थना पत्र के साथ जब किसी पत्रावली का अन्तिम निस्तारण हो जावें, सम्पूर्ण पक्षकारों का नाम व पता वर्णित होना चाहिए, जो प्रार्थी द्वारा पेश नही किया है। पैरोकार सरकार ने पूर्व मे उक्त विवादित रास्ते को खोलकर श्रीमान के समक्ष रिपोर्ट पश की जा चुकी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का बिन्दू वार जवाब पटवारी की रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसके आधार पर मान्यवर द्वारा अपना निर्णय दिनांक 15.04.2024 का पारित किया है जो विधिनुसार है। दिनांक 23.02.2023 की जो रिपोर्ट है। वह विधिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। तथा श्रीमान न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद सम्पूर्ण तथ्यों व दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर ही विधिक आदेश पारित किया हैं। ना ही इस तथ्य की अप्रार्थी सं0 10 ता 13 व 16 ता 18 व 20 ता 28 ने आपत्ति उठाई गयी है। वह भी स्वीकार कर रहे है। कि प्रार्थी के पास रिकार्डेड रास्ता नही है। जिसको अप्रार्थी (भगवान) द्वारा कई बार बंद किया और बार–बार तहसीलदार मौके पर जाकर जरिये प्रशासन खुलवाया है। माननीय न्यायालय मे पत्रावली मे मौजूद दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर ही विधिक आदेश पारित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी (गेन्दा) को हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य से विधि विरूद्व तथ्यों के आधार पर पेश किया है। किसी भी न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दे दिये जाने पर अधिवक्ता का पावर समाप्त हो जाता है। अगर वह उसी मुकदमे में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करता है तो ऐसे अधिवक्ता को नया वकालतनामा नियमोनुसार पेश करना होता है।। तथा प्रार्थना पत्र पर पक्षकार के हस्ताक्षर होने चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र. मे ना तो पक्षकार के हस्ताक्षर है और ना ही प्रार्थना पत्र के साथ वकालतनामा पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने के कई तारीख बाद अधिवक्ता का वकालतनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील करने की हिदायत देने का निवेदन स्वीकार करें। पत्रावली में उपलब्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र, जवाब रिव्यू प्रा0पत्र, एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 1) द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही उचित नही पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दफ्तर दाखिल हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Y3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
178 / 2022	04 / 11 / 2022	15 / 04 / 2024

–उनवान–

गेंदालाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

भगवान पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
कंचन पुत्र शंकर
कमल पुत्र लक्ष्मण
कैलाश नारायण पुत्र धन्नाराम
गुल्लाराम पुत्र नहनू
छोटू पुत्र नहनू
जगरूप पुत्र लक्ष्मण
जयसिंह पुत्र धन्नाराम
0 नन्दलाल पुत्र लादू
1 नाथूलाल पुत्र लादू
2 लोकेश पुत्र बद्रीनारायण
3 हंसराज पुत्र बद्रीनारायण
14 मोहरसिंह पुत्र धन्नाराम
15 रामजीलाल पुत्र नहनू
16 अनिता पत्नि हरिसिंह
17 उदय सिंह पुत्र हरिसिंह
18 उर्मिला पत्नि रंगलाल
19 जगदीश पुत्र रामधन
नर्बदा पत्नि गौरीशंकर
जयराम पुत्र रामसहाय
22 नेहा पुत्री हरिसिंह
23 मांगीलाल पुत्र छीतर
24 रंगलाल पुत्र श्योराम
खिलाडी पुत्र गौरीशंकर
26 रामफूल पुत्र रामसहाय
27 रामेश्वर पुत्र रामकिशन
28 श्रवण पुत्र रामसहाय
29 सुमेर पुत्र रामधन
30 हीरा पुत्र नारायण
31 कजोड पुत्र रामधन
32 रामकरण पुत्र नारायण
समस्त जाति गुर्जर समस्त 3 ता 32 निवासीयान ग्राम व पटवार हल्का नेवर तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना – वकील प्रार्थी।
श्री रूपनारायण गुर्जर – वकील अप्रार्थी सं0 1
श्री किशनलाल – वकील अप्रार्थी सं0 3 लगायत 11, 14, 15

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नेवर में भूमि खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0126 है0 स्थित है जिस पर शामलाति रूप से प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त प्रार्थना पत्र केवल प्रार्थी कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 242 में से आवागमन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 के लगवा दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 242 स्थित है। प्रार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 में प्रवेश करता है तो खसरा नम्बर 242 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में है इसलिए खसरा नम्बर 242 से सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार शॉर्ट एवं नियरेस्ट रूट्स की पालना मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को अपने कुए एव खेत खसरा नम्बर 137 तक आवागमन हेतु अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को खसरा नम्बर 242 में से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित में अतिआवश्यक है। प्रार्थी अपने उक्त कुए एव खेत खसरा नम्बर 137 पर आने जानें हेतु खसरा नम्बर 242 का ही रास्ते के रूप में अर्से से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसका की प्रार्थी को उक्त रास्ते के संबंध में सुखाधिकार भी प्राप्त है परन्तु चूकि भूमि खसरा नम्बर 242 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी को उक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 242 में से आने – जाने से रोकते है। दिनांक 09.08.2022 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 242 में से जाने से जबरन रोक दिया व ऐलानिया धमकिया दी कि अब उक्त भूमि खसरा नम्बर 242 में से आवागमन नही होगा तो प्रार्थी ने कहां कि उक्त भूमि में से मैं अर्से से आता–जाता रहा हूँ जिस पर अप्रार्थी सं0 1 ने जबरन उक्त आवागमन के रास्ते पर ढहरे लगाकर बन्द कर दिया व प्रार्थी से झगडा करने पर आमादा हो गये जिसके कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 मे काश्त नही कर पा रहा तथा ना ही कृषि संसाधन की जुदा पा रहा है। चूकि अप्रार्थी सं0 1 कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 242 में गै0मु0रास्ता की भूमि नही है। ऐसी दशा में प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की भूमि में से 15 फिट चौडा रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी खसरा नम्बर 242 मे से आवागमन हेतु 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी हैं इस हेतु प्रार्थी रास्ता में परिवर्तित की जाने वाली भूमि की कीमत डी0एल0सी0 रेट के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 को देने को तैयार एवं तत्पर है। ऐसी दशा में जबकि प्रार्थी के पास रास्ते की भूमि से अपनी खातेदारी की भूमि पर जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नही होने के कारण रास्ता प्राप्त करने एवं इस करद राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में इन्द्राज करवाये जाने का अधिकारी है जिसे संलग्न नक्शें में हरे रंग से दर्शित किया गया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 137 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 242 से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा इस कदर राजस्व रिकार्ड में भी रास्ते की भूमि का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 23.01.23 को जवाब मय अतिरिक्त कथन के साथ पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 (पैरोकार सरकार) ने दिनांक 23.02.23 को अपने पत्रांक/आरटी/2023/520 दिनांक 23.02.23 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी वकीन ने दिनांक 05.05.23 को वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत ख0न0 241 व 239 के खातेदारों को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया। जिस पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। एवं संशोधित उनवान पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 व 14, 15 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल ने दिनाक 5.6.23 को वकालतनामा मय रास्ते की सहमति बाबत जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 12, 13 व 16 लगायत 32 अनुपस्थित। दिनांक 5.6.23 को अप्रार्थी सं0 12, 13 व 16 लगायत 32 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 12, 13 व 16 लगायत 32 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। दिनांक 17.07.23 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अ0धारा 151 जा0दी0 मय दस्तावेज सूची पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत जवाब/मौका तहसीलदार व प्रार्थना पत्र अ0धारा 151 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 251 की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रा0 पत्र का चरण 1 व 2 जिस प्रकार से लिखा है स्वीकार नही है। खसरा नम्बर 137 व 242 पास–पास है। चरण नं0 3 में खसरा नम्बर 137 से खसरा नम्बर 242 में प्रवेश करने वाली बात गलत लिखी गई है। चूकि यहा यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 137 की भूमि के दक्षिणी कोने से दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 144 स्थित है जो कि मिन अप्रार्थी के खसरा नम्बर 242 से लगता हुआ ही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी खसरा नम्बर 137 से आवागमन के लिए स्वयं के खसरा नम्बर 144 मे होकर भी आवागमन करता है। साथ–साथ खसरा नम्बर 136 मे होकर भी वह आवागमन करता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 136 व स्वयं का खसरा नम्बर 144 मे होकर आवागमन के रास्ते वर्तमान में मौजूद है तो प्रार्थी को ऐसी स्थिति में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण सुविधाजनक एवं सुलभ रास्ता

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

कायम करवाया जाना न्यायसंगत नही है। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सुगम रास्ता दिलाये जाने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन में कहा कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र मे खसरा नम्बर 137 मे कहां से पहुचने के लिए मिन अप्रार्थी के खसरा नम्बर 242 में से रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कही भी अंकित नही किया है कि प्रार्थी स्वयं के खसरा नम्बर 137 मे कहां से चलकर खसरानम्बर 242 मे होकर खसरा नम्बर 137 में पहुचेगा इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही स्पष्ट नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नम्बर 242 मे होकर किसी भी प्रकार को कोई रास्ता न तो पूर्व में मौके पर एवं रिकार्ड में कायम था और ना ही आज कायम है ऐसी सूरज में प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 242 मे होकर कथित रास्ता बन्द किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के उपनियम 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जहॉं कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां पर किसी अन्य दूसरे खातेदार की खातेदारी से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है लेकिन फिर भी प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त खसरा नम्बर 242 मे होकर पूर्व में से आने जाने का जो कथन किया है वह गलत है मिन अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 242 मे होकर कोई रास्ता नही रहा है और ना ही कोई आवागमन रहा है। प्रार्थी ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 242 मे होकर जबरन रास्ता बताकर नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही हैं इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अवगत कराया कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी के ग्राम नेवर के खसरा नम्बर 137 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता से खसरा नम्बर 239, 241, 242 मे होकर मौके पर रास्ता चालू है। मुताबिक रिकार्डानुसार खसरा नम्बर 137, 239 गैदालाल पुत्र रामकिशन गुर्जर वगै0 सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 241 नन्दलाल पुत्र लादू वगै0 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा खसरा नम्बर 242 भगवान पुत्र गोविन्दा गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 137 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 242 से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जबकि मुताबिक मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 137 मे जाने हेतु खसरा नम्बर 239, 241, 242 में मौके पर रास्ता चालू है एवं उक्त खसरा नम्बरान से रास्ता दिया जना उचित है। ग्राम नेवर के खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता से प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा नम्बर 239, 241, 242 मे होकर मौके पर रास्ता काम मे लिया जा रहा है एवं उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अप्रार्थी व पडौसी खसरा नम्बर 243 किस्म गै0मु0आबादी के काश्तकारान द्वारा आवागमन हेतु काम में लिया जा रहा है। अतः मुताबिक मौका स्थिति व रिकार्डनुसार प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 137 में जाने हेतु खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899 है0 मे से 90 X 4 = 360 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5311 है0 में से 100x4 = 400 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.6449 है0 में से 82 X 4 = 328 वर्गमीटर रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत दिया जाना उचित है।

बहस वकील उभय पक्षों की व पैरोकार सरकार की सुनी गई। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 151 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 151 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अप्रार्थी के जवाब व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए रास्ता मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899 है0 मे से 90 X 4 = 360 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5311 है0 में से 100x4 = 400 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.6449 है0 में से 82 X 4 = 328 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 से दोगुना राशि प्रार्थी से वसूल कर हिस्से अनुसार अप्रार्थीगणों को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थीगणों के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

नोट:- प्रकरण में निर्णय के संबंध में रिव्यू प्रा. पत्र विचाराधीन है।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

3/3

कायम करवाया जाना न्यायसंगत नही है। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सुगम रास्ता दिलाये जाने के संबंध में प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन में कहा कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 137 मे कहां से पहुचने के लिए मिन अप्रार्थी के खसरा नम्बर 242 में से रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कही भी अंकित नही किया है कि प्रार्थी स्वयं के खसरा नम्बर 137 में कहां से चलकर खसरानम्बर 242 मे होकर खसरा नम्बर 137 में पहुचेगा इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही स्पष्ट नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थी सं0 1 के खसरा नम्बर 242 मे होकर किसी भी प्रकार को कोई रास्ता न तो पूर्व में मौके पर एवं रिकार्ड में कायम था और ना ही आज कायम है ऐसी सूरज में प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 242 मे होकर कथित रास्ता बन्द किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के उपनियम 2 में यह प्रावधान किया गया है कि जहॉ कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां पर किसी अन्य दूसरे खातेदार की खातेदारी से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है लेकिन फिर भी प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त खसरा नम्बर 242 मे होकर पूर्व में से आने जाने का जो कथन किया है वह गलत है मिन अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 242 में होकर कोई रास्ता नही रहा है और ना ही कोई आवागमन रहा है। प्रार्थी ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 242 मे होकर जबरन रास्ता बताकर नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही हैं इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अवगत कराया कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी के ग्राम नेवर के खसरा नम्बर 137 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता से खसरा नम्बर 239, 241, 242 मे होकर मौके पर रास्ता चालू है। मुताबिक रिकार्डानुसार खसरा नम्बर 137, 239 गैदालाल पुत्र रामकिशन गुर्जर वगै0 सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 241 नन्दलाल पुत्र लादू वगै0 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा खसरा नम्बर 242 भगवान पुत्र गोविन्दा गुर्जर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 137 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 242 से रास्ता प्राप्त करना चाहता है जबकि मुताबिक मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 137 मे जाने हेतु खसरा नम्बर 239, 241, 242 में मौके पर रास्ता चालू है एवं उक्त खसरा नम्बरान से रास्ता दिया जना उचित है। ग्राम नेवर के खसरा नम्बर 238 किस्म गै0मु0रास्ता से प्रार्थी व अप्रार्थी के खसरा नम्बर 239, 241, 242 मे होकर मौके पर रास्ता काम में लिया जा रहा है एवं उक्त रास्ते से ही प्रार्थी अप्रार्थी व पडौसी खसरा नम्बर 243 किस्म गै0मु0आबादी के काश्तकारान द्वारा आवागमन हेतु काम में लिया जा रहा है। अतः मुताबिक मौका स्थिति व रिकार्डनुसार प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 137 में जाने हेतु खसरा नम्बर 239 रकबा 2.3899 है0 मे से 90 X 4 = 360 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5311 है0 में से 100x4 = 400 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.6449 है0 में से 82 X 4 = 328 वर्गमीटर रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत दिया जाना उचित है।

बंहस वकील उभय पक्षों की व पैरोकार सरकार की सुनी गई। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 151 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आपत्ति व प्रार्थना पत्र धारा 151 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अप्रार्थी के जवाब व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नेवर, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 137 में कृषि कार्य हेतु आने-जाने के लिए रास्ता मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 239 रकवा 2.3899 है0 मे से 90 X 4 = 360 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.5311 है0 में से 100x4 = 400 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 242 रकबा 0.6449 है0 में से 82 X 4 = 328 वर्गमीटर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 से दोगुना राशि प्रार्थी से वसूल कर हिस्से अनुसार अप्रार्थीगणों को दिलवाई जाने के उपरान्त अप्रार्थीगणों के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार किस्म गै.मु. रास्ता कायम किया जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

नोट:- प्रकरण में निर्णय के संबंध में रिव्यू प्रा. पत्र विचाराधीन है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़